संख्या : बी–1070 / का–1/1996

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ० प्र० शासन
समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद
सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 1996

विषय : अप्रेन्टिस-शिप पूर्ण करने पर रियायतें

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 4347–54/1990 में दिनांक 12 जनवरी, 1995 को पारित निर्णय में सफलतापूर्वक अप्रेन्टिस-शिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के अवसर पर अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता दिये जाने, उन्हें आयु सीमा में छूट दिये जाने तथा सेवायोजन कार्यालयों से उनके नाम मंगाये जाने या पंजीकरण किये जाने की शर्तों को शिथिल किये जाने से सम्बन्धित निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं :–

1—किसी विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षु के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य बातों के समान रहते हुये सीधी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा, सम्बन्धित विभाग की रिक्तियों हेतु, वरीयता प्रदान की जाय।

2—प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के नाम सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से मंगाये जाने या सेवायोजन कार्यालय में उनके नाम पंजीकृत होने की अनिवार्यता होने की शर्त (यदि कहीं हो) शिथिल की जाय।

3—प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को यथावश्यक अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान की जाय।

4—संबंधित संस्थानों द्वारा अपने अधीन प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की एक सूची तैयार की जाय तथा पूर्व प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को बाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं से वरिष्ठ माना जाय अर्थात् प्रशिक्षुओं में उस व्यक्ति को वरीयता दी जाय जिसने पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

2—शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और यदि इस हेतु सम्बन्धित सेवा-नियमावली में कोई संशोधन की अपेक्षा हो तो कृपया तत्काल सेवा नियमावलियों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित किया जाये।

3—कृपया उपरोक्त निर्णय का सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

माता प्रसाद,

मुख्य सचिव।

संख्या–बी-1070 / का–1 / 1996, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

डा० जी० पी० वार्ष्णेय,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 2 सा० नियुक्ति—15-5-97—(371)—1997—5000—(कम्प्यूटर/आफसेट)